राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश

16 ए.पी.सेन मार्ग,मण्डी परिषद भवन, लखनऊ

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

प्रेषक,
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
1.समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0।
3.समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।

पत्रांक–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FP-CAC/104/2021–22/6475-3 दिनांक– 10-01-2022 .12.2021

विषय :– चिकित्सीय गर्भसमापन एक्ट (एम0टी0पी0 एक्ट) अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में।

कृपया पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/सु0गर्भ0से0/104/13–14/1400–75 दिनांक 02.07.2013 एवं भारत सरकार के संशोधित संसोधन के कम में भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जो कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चिकित्सीय गर्भसमापन एक्ट (एम0टी0पी0 एक्ट) अधिनियम 1971 (1971 का 34) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्भ का चिकित्सीय गर्भ समापन नियम, 2003 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये गये है, जो निम्नवत है –

एम0टी0पी0 संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान :–

संशोधित अधिनियम में गर्भ के समापन की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है। 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था का समापन निम्नलिखित परिस्थियों में किया जा सकता है–

- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, चौबीस सप्ताह की अवधि हेतु गर्भावस्था के समापन के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों की स्त्रियों को पात्र समझा जाएगा, अर्थात –
  (क) यौन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी;
  (ख) अल्पवय या नाबालिग;
  (ग) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रस्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह – विच्छेद);
  (घ) शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियां (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता);
  (ङ) मानसिक रूप से रूग्ण स्त्री जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता भी है;
  (च) भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीडित हो सकता है जिससे वह गम्भीर रूप से अक्षम हो ; और
  (छ) मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियो में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाए ।

गोपनीयता :–

- गर्भ को समाप्त करने वाली किसी महिला का नाम और अन्य विवरण, वर्तमान कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं किया जायेगा। गर्भ समापन करने वाली महिला की जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा।

औषधि विधि द्वारा गर्भपात पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा किये जाने हेतु शर्तें :–

- औषधियों से गर्भपात की सीमा **09 सप्ताह तक** की गई है औषधि विधि से गर्भ समापन करने के लिए किसी भी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी (Registered Medical Practitioner) की निम्न अर्हता होनी चाहिए–
- पंजीकृत स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान में विशेषता वाले डॉक्टरों कम से कम 03 माह की अवधि का किसी चिकित्सालय का अनुभव एवं गर्भ समापन की पद्वतियों द्वारा 09 सप्ताह तक की गर्भावधि के गर्भ समापन करने का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त हो।
- सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित अस्पताल में अथवा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में गर्भ के चिकित्सीय समापन के दस केसों का चिकित्सा पद्धतियों द्वारा गर्भ समापन किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतन्त्र रूप से किया हो।
- स्पष्टीकरण में,**''सात सप्ताह''**,शब्दों के स्थान पर ,**''नौ सप्ताह''** शब्द रखे जायेंगे।

विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम गर्भावधि सीमा :–

- महिलाओं की विशेष श्रेणियों (इसमें दुष्कर्म तथा अनाचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य कमजोर महिलाओं जैसे – दिव्यांग महिलाएं और नाबालिग आदि) के लिए गर्भकाल/गर्भावधि की सीमा को **24 सप्ताह** से बढाकर **चिकित्सा बोर्ड** के निर्णय उपरांत अब कभी भी गर्भ का चिकित्सीय समापन करने का प्रावधान किया गया है।

गर्भ की समाप्ति के लिए पंजीकृत चिकित्सकों से राय लेना आवश्यक है –

1. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, पंजीकृत चिकित्सों की राय, जो गर्भावस्था की विभिन्न अवधियों के लिए अपेक्षित है, निम्नलिखित होगी, अर्थात :–

- **नौ सप्ताह तक** की गर्भावस्था अवधि के गर्भसमापन के लिए **एक पंजीकृत चिकित्सक की राय** आवश्यक है।
- **बारह सप्ताह तक** की गर्भावस्था अवधि के गर्भसमापन के लिए **एक पंजीकृत चिकित्सक** की राय आवश्यक है।
- **बारह सप्ताह से अधिक बीस सप्ताह तक** की गर्भावस्था अवधि के गर्भसमापन के लिए **एक पंजीकृत चिकित्सक की राय** आवश्यक है।

1. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, **बीस सप्ताह से अधिक चौबीस सप्ताह तक** की गर्भावस्था अवधि के गर्भ के समापन हेतु **दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय** लेना आवश्यक होगा।
2. धारा 3 की उपधारा (2ख) के प्रयोजनों के लिए, **चौबीस सप्ताह से अधिक** की गर्भावस्था अवधि के गर्भ समापन हेतु **चिकित्सा बोर्ड के अधीन दो पंजीकृत चिकित्सकों को चिकित्सा बोर्ड के निर्णय उपरान्त गर्भ समापन करेंगे।**

चौबीस सप्ताह से ज्यादा की गर्भावस्था के समापन की स्थिति में :–

24 सप्ताह से ज्यादा के गर्भावस्था की समापन निम्न बिंदुओं को पूर्ण करने वाली स्वास्थ्य इकाइयों में किया जा सकता है,

- ऑपरेशन टेबल और उदर सम्बन्धी या स्त्री रोग सम्बन्धी शल्य चिकित्सा करने के लिए उपस्कर;
- निश्चेतना उपस्कर (Anesthesia), पुनरुज्जीवन उपस्कर (Resuscitation) और विसंक्रमण उपस्कर (Disinfection)
- औषधियों, आकस्मिक उपयोग के लिए जनकीय तरलों और रक्त की उपलब्धता, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये;
- अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन के अधीन प्रक्रिया के लिए सुविधाएं।

चिकित्सा बोर्ड–

चिकित्सा बोर्ड से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ग)के अधीन गठित चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है।

चिकित्सा बोर्ड की शक्तियॉं–

- उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन, केवल सम्यक विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि गर्भ की उस अवस्था में स्त्री के लिए प्रकिया सुरक्षित होगी तथा क्या भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीडित हो सकता है जिससे वह गम्भीर रूप से अक्षम हो, 24 सप्ताह की गर्भावधि के आगे गर्भ का समापन अनुज्ञात करना या अस्वीकार करना।
- बोर्ड में अन्य विशेषज्ञों से सहयोग लेना तथा गर्भ के समापन का विनिश्चय करने के लिए, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त अन्वेषणों के लिए कहना।

चिकित्सा बोर्ड के कार्य :–

चिकित्सा बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे–

- गर्भवती महिला और उसकी रिपोर्टों का परीक्षण करना, जो धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आयी हैं।
- धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर गर्भ के समापन या समापन के आवेदन को अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में **प्रारूप घ** में चिकित्सा बोर्ड की राय प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि गर्भ समापन की प्रक्रिया जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा सलाह दी जाये, तो वह धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन की तारीख से पांच दिनों के भीतर समुचित परामर्श एवं पूर्ण सावधानियों के साथ किया जाये ।

कमशः

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश
16 ए.पी.सेन मार्ग,मण्डी परिषद भवन, लखनऊ

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

संशोधित प्रपत्रः

सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान करने हेतु विभिन्न रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं रजिस्टर के संशोधित प्रारूप का विवरण निम्नवत है–

- फॉर्म क (स्थान के अनुमोदन के लिए आवेदन का संशोधित प्रपत्र)
- फॉर्म ख (अनुमोदन का प्रमाण पत्र)
  उपरोक्त दोनों प्रारूप निजी सेवा केन्द्रो के पंजीकरण हेतु है।
- फॉर्म ग (संशोधित सहमति प्रपत्र)
- फॉर्म 1 (संशोधित सलाह प्रपत्र)
- फॉर्म 2 (इकाईयों के प्रभारी द्वारा मासिक रिपोर्टिंग का प्रारूप)
- फॉर्म 3 (ओ0टी0 पर दाखिला रजिस्टर का संशोधित प्रारूप)
- फॉर्म घ (24 सप्ताह से परे गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए चिकित्सा बोर्ड की रिर्पोट प्रारूप)
- फॉर्म ङ (20 सप्ताह से अधिक 24 सप्ताह तक गर्भावस्था की अवधि के लिए प्रारूप)

संलग्नक :– भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं संशोधित प्रारूप।

भवदीया

Aparna.U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / FP-CAC / 104 / 2021–22 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, चि0 स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी जनपदों को समुचित दिशा–निर्देश प्रेषित करें।
3. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त मेडिकल कॉलेज को समुचित दिशा–निर्देश प्रेषित करें।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलीय /जनपदीय एफ0 पी0 लॉजिस्टिक मैनेजर उत्तर प्रदेश ।
10. गार्ड फाइल।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश

16 ए.पी.सेन मार्ग,मण्डी परिषद भवन, लखनऊ

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

संशोधित प्रपत्रः

सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान करने हेतु विभिन्न रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं रजिस्टर के संशोधित प्रारूप का विवरण निम्नवत है–

- फॉर्म क (स्थान के अनुमोदन के लिए आवेदन का संशोधित प्रपत्र)
- फॉर्म ख (अनुमोदन का प्रमाण पत्र)
  उपरोक्त दोनों प्रारूप निजी सेवा केन्द्रो के पंजीकरण हेतु है।
- फॉर्म ग (संशोधित सहमति प्रपत्र)
- फॉर्म 1 (संशोधित सलाह प्रपत्र)
- फॉर्म 2 (इकाईयों के प्रभारी द्वारा मासिक रिपोर्टिंग का प्रारूप)
- फॉर्म 3 (ओ0टी0 पर दाखिला रजिस्टर का संशोधित प्रारूप)
- फॉर्म घ (24 सप्ताह से परे गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए चिकित्सा बोर्ड की रिर्पोट प्रारूप)
- फॉर्म ङ (20 सप्ताह से अधिक 24 सप्ताह तक गर्भावस्था की अवधि के लिए प्रारूप)

संलग्नक :– भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं संशोधित प्रारूप।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / FP-CAC / 104 / 2021–22/6475-3101 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, चि0 स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी जनपदों को समुचित दिशा–निर्देश प्रेषित करें।
3. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त मेडिकल कॉलेज को समुचित दिशा–निर्देश प्रेषित करें।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलीय / जनपदीय एफ0 पी0 लॉजिस्टिक मैनेजर उत्तर प्रदेश ।
10. गार्ड फाइल।

Aparna. U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक